

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- चूरु में दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-भारत सरकार का सामुदायिक संगठक (सीओ) 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 12 जुलाई, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरु इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीपक कुमार सामुदायिक संगठक (सीओ) डीएवाई-एनयूएलएम (दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-भारत सरकार) नगर पालिका राजलदेसर, जिला चूरु को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरु इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाये गये कार्यों के बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में दीपक कुमार सामुदायिक संगठक (सीओ) डीएवाई-एनयूएलएम (दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-भारत सरकार) नगर पालिका राजलदेसर, जिला चूरु द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के उप महानिरीक्षक श्री हरेन्द्र महावर के सुपरवीजन में एसीबी चूरु इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये दीपक कुमार पुत्र श्री रामकुमार सांखला निवासी आड़सर, तहसील श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर हाल सामुदायिक संगठक (सीओ) डीएवाई-एनयूएलएम (दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-भारत सरकार) नगर पालिका राजलदेसर, जिला चूरु को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।